(Public Hearing Minutes)

पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जनसुनवाई दिनांक 14.02.2025 का कार्यवृत

मैसर्स बी.के.एल.जी., वेण्डर, प्रा.लि., खनन पटटा संख्या 14, खनन पट्टा क्षेत्रफल – 5.3739 हैक्टयेर खनन परियोजना में मैसेनरी स्टोन (माइनर मिनरल) (अप्रधान खनिज) खनन परियोजना, कुल उत्पादन क्षमता 6,91,275 टन प्रति वर्ष (रोम.) निकट ग्राम मोहनपुर, तहसील करौली, जिला–करौली,(राजस्थान) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक लोक सुनवाई पूर्व में दिनांक 10.01.2025 को प्रस्तावित थी, जिस हेतु आम सूचना को समाचार पत्रों यथा द सण्डे एक्सप्रेस एवं दैनिक नवज्योति में दिनांक 08.12.2024 को प्रकाशित की गयी। इस प्रस्तावित जनसुनवाई को कार्यालय जिला कलेक्टर करौली के पत्र दिनांक 10.01.2025 को जनसुनवाई स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाऐं नही होने के कारण आगामी आदेशों तक स्थगित कर दी गई थी एवं पुनः जनसुनवाई 14 फरवरी 2025 को प्रातः 11:00 बजे भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, रघुवंशी, गाम पंचायत – रघुवंशी, तहसील व जिला– करौली (राजस्थान) में श्री हेमराज परिडवाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (जिला कलेक्टर करौली के प्रतिनिधी) एवं श्री बलजीत मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर की उपस्थिति में आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान 26 लोग उपस्थित रहे, उपस्थित सदस्यों की सूची " परिशिष्ट अ" पर संलग्न है।

जनसुनवाई हेतु आम सूचना समाचार पत्र करौली जिलें के दैनिक नवज्योति एवं दी सन्डे एक्सप्रेस के संस्करण में दिनांक 26.01.2025 में प्रकाशित करवा दी गई थी एवं मुनादी एक दिवस पूर्व दिनांक 13.02.2025 को ग्राम –मोहनपुर एवं ग्राम पंचायत – रघुवंशी में करवा दी गई है।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, श्री बलजीत मीणा, ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली एवं उपस्थित आमजन का स्वागत किया तथा पर्यावरणीय सलाहकार से खनन परियोजना की रूप रेखा से सभी को अवगत कराने बाबत् आमन्त्रित किया।

जिसके उपरान्त खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार रोहित पाण्डे ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुमति से खनन परियोजना, खनन कार्य से पडने वाले पर्यावरणीय प्रभाव एवं संरक्षण, जल गुणवत्ता, सुरक्षा एवं सामाजिक दायित्व (सी.एस. आर) आदि के बारे में पॉवर पॉईन्ट प्रजेन्टेशन की सहायता से विस्तार से बताया।

जिसके उपरांत अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने ग्रामवासियों को बताया कि आज की इस जनसुनवाई में इस खनन परियोजना के संचालन से इस क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण के परिवेश में पडने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा की जायेगी। जिस सम्बंध में पर्यावरण सलाहकार ने आपको बताया है कि यहाँ रोजगार मिलेंगे, सडकों का निर्माण एवं पेड–पौधे लगाये जायेंगे। यदि आपका इस जनसुनवाई में कोई सुझाव, सलाह या कोई समस्या हो तो आप यहा बता सकते है।

इसके उपरांत क्षेत्रीय अधिकारी ने इस बैठक में उपस्थित सभी जन से मौखिक एवं लिखित रूप से अपनी आपत्तिया एवं सुझाव/राय देने हेतु निवेदन किया।

इसके पश्चात सर्वप्रथम सरपंच ग्राम पंचायत रघुवंशी, वार्ड पंच एवं ग्रामबासियों ने लिखित में अवगत कराया कि उक्त खनन परियोजना से गॉव में स्थित तालाब, पशु –पक्षियों एवं पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा अतः उक्त खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति जारी नही की जावें। (पत्र " परिशिष्ट ब" पर संलग्न है)

इसके पश्चात ग्रामवासी श्री जगदीश ग्राम – मोहनपुर, तहसील एवं जिला – करौली के द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना जो कि पहाडी पर स्थित है जिसकी ढलान में पानी का एक तालाब एवं निजी खातेदारी की जमीन है। उक्त खनन परियोजना के आने से तालाब एवं खातेदारी की जमीन को नुकसान पहुँचेगा एवं खनन कार्य शुरू होने पर तालाब में आने वाला पानी अवरूद्ध हो जायेगा। यहाँ खातेदारी जमीन पर पेड–पौधे कहाँ से लगेगें और प्रदूषण से अस्थमा, सिलिकोसिस जैसी बिमारियाँ फैल जायेगी तो मनुष्य जीवन सफल नही हो पायेगा, बहुत धूल –मिटटी भी उडेंगी। बाकी सारे नियम आपने रख दिये है नियमों का पालन कौन करेगा, आम जनता नई – नई बिमारिया से ग्रस्त है कोई इलाज नही करा पायेगा। यह खनन परियोजना हमारे जीवन के उपयुक्त नही है।

इसके जवाब में खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार रोहित पाण्डे ने बताया की गूगल इमेज में कोई तालाब दिखाई नही दे रहा है, ये कोई मौसमी तालाब हो सकता है वर्तमान में ऐसा कोई तालाब नजर नही आ रहा है। उक्त खनन परियोजना के लिये पर्यावरणीय प्रभावी आंकलन सर्वे के दौरान परियोजना के आस – पास की भौगोलिक परिस्थितियों की

Scanned with OKEN Scanner

जानकारी पूर्व मे ली जा चुकी है। जिसमें तालाब , प्रस्तावित खनन परियोजना से पर्याप्त दूरी पर स्थित है। तत्पश्चात मौके पर उपस्थित पटवारी एवं अधिकारी द्वारा खसरा मैप देखकर आश्वासन दिया कि वस्तुस्थिति को आगे भेजा जायेगा।

इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी ने ग्रामवासियो को आश्वासन दिया कि इस सम्बंध में जो भी आपने बताया और लिखित में दिया है इसका अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय संज्ञान में लेंगे।

इसके पश्चात ग्रामवासी श्री समय सिंह चौधरी ग्राम – मोहनपुर, तहसील एवं जिला – करौली के द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी यहाँ पर एक खनन परियोजना संचालित है, जिसके खनन कार्य से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है एवं आस – पास की खेतीबाडी को नुकसान पहुँच रहा है। पेड–पौधे भी नही लगाये है। अतः इस प्रस्तावित खनन परियोजना को अनुमति प्रदान नही की जावें।

इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी ने खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार से कहा कि ग्रामवासी द्वारा उक्त पहाडी क्षेत्र के आस – पास में जो तालाब बताया है उसे आप अपने गूगल इमेज में पॉवर पॉईन्ट प्रजेन्टेशन की सहायता से दिखाओ।

इसके उपरांत खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार ने पॉवर पॉईन्ट प्रजेन्टेशन की सहायता से बताया कि गूगल ईमेज में किसी भी प्रकार का तालाब दिखाई नही दे रहा है तथा हमारे द्वारा सर्वे करने पर भी कोई तालाब नही पाया गया था।

इसके पश्चात ग्रामवासी श्री जगदीश ग्राम – मोहनपुर, तहसील एवं जिला – करौली के द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी जब क्रेशर लगाया था तब सर्वे की टीम आई होगी तो सर्वे में गॉव वालों को शामिल क्यो नही किया गया ? दिल्ली में बैठे – बैठे ही सर्वे कर लिया गया ।

इसके उपरांत खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार ने कहा की गॉव में क्रेशर नही लगायेंगे, आप सभी की बात को सुना जा रहा है, उच्च अधिकारी द्वारा जो निर्णय लिया जायेगा, उसे माना जायेगा।

इसके उपरांत सरपंच प्रतिनिधि – श्री जितेन्द्र सिंह, ग्राम – मोहनपुर, तहसील एवं जिला – करौली के द्वारा बताया गया खनन के आस – पास चारागाह भूमि है, पहाड की भूमि कम ही है इसमें भी तालाब बना हुआ है, इतनी लम्बी चोडी भूमि भी नही है कि इसमें खनन किया जाए एवं पास ही उपजाउ जमीन है, जहाँ किसान खेतीबाडी करते है। इस परियोजना से भंयकर जनहानी होगी। एक क्रेशर पहले से लगा हुआ है उसको भी मौके पर जाकर देख सकते है, कितनी जनहानी हुई है।

इसके उपरांत क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा कि इस खनन परियोजना को खनन विभाग द्वारा आंवटित किया है। खनन विभाग द्वारा जगह देखी होगी उसके बाद ही स्वीकृति मिली होगी। अगर यहा खनिज का जमाव नही होता तो खनिज विभाग इस पहाड पर खनिज पटटा आवंटित ही नही करता। इसके बाद अगर गॉव में कोई प्रोजेक्ट आता है तो उससे गॉव में रोजगार मिलता है, गॉव का विकास होता है।

इसके उपरांत क्षेत्रीय अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला कलेक्टर करौली द्वारा ग्रामवासियों का भ्रम दूर करते हुये बताया गया कि आज की जनसुनवाई प्रस्तावित खनन परियोजना में मैसेनरी स्टोन (चेजा पत्थर) उत्पादन क्षमता 6,91,275 टन प्रति वर्ष (रोम.) के खनन कार्य की पर्यावरण स्वीकृति हेतु की जा रही है। इस परियोजना में स्टोन क्रेशर इकाई लगाना प्रस्तावित नही है।

इसके उपरांत क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा परियोजना के प्रतिनिधि से जानकारी चाही गई कि खनन इकाई द्वारा कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया जावेंगा एंव सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के अन्तर्गत क्या – क्या कार्य प्रस्तावित है।

खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार ने कहा कि खनन परियोजना के आने से गॉव के 50 लोगो को रोजगार मिलेगा , जिसकी जैसे योग्यता होगी उसको वेसा रोजगार दिया जायेगा। जैसे – डम्पर चलाने वाले को डम्पर ड्राईवर रखा जावेंगा, जेसीबी चलाने वाले को जेसीबी ड्राईवर रखा जावेंगा, पेड –पौधो को पानी देने के लिए बागवान रखा जावेंगा , पढे लिखे को लिखाई – पढाई का काम दिया जावेंगा।

सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के अन्तर्गत गॉव की स्कूल एवं पंचायत भवन में शौचालयों का निर्माण एवं मरम्मत करवाया जावेंगा जिस हेतु कुल 8 लाख रूपये प्रस्तावित है, जिसमें से प्रतिवर्ष 2 लाख रूपये खर्च करना प्रस्तावित है।

एक ग्रामीण द्वारा खडे होकर किसी अन्य उद्योग से होने वाले प्रदूषण की शिकायत करने पर क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा कि खनन परियोजना के अलावा प्रदूषण से सम्बन्धित अगर कोइ उद्योग है, जिससे आपको प्रदूषण सम्बन्धित परेशानी हो रही है, तो आप मुझे लिख कर दे सकते है। अभी आप केवल इस खनन परियोजना के बारे में चर्चा करें।

इसके उपरांत ग्रामवासी – श्री भगवान सिंह ग्राम – मोहनपुर, तहसील– करौली द्वारा बताया गया कि 10 गॉवों की मवेशी गाय, बकरी भैस चरती है। मै इस गॉव से एक पत्थर भी नही ले जाने दूंगा , भले ही 10 गॉव मर जायेंगे, मिट जायेंगे क्योकि हम मवेशी पालक है इस गॉव की आजीविका पूर्ण रूप से पशुधन एवं खेतीबाडी पर आधारित है। खनन परियोजनाओं

Scanned with OKEN Scanner

के आने से गॉवों में पशुधन/मवेशियों को चराने के लिए पर्याप्त भूमि नही रहेंगी एवं खेतीबाडी को नुकसान पहुँचेगा। इसलिये आपसे हाथ जोडकर निवेदन है कि इस परियोजना को चालू नही करे।

इसके उपरांत क्षेत्रीय अधिकारी ने ग्रामवासियो से कहा कि आप की बात को आगे रखेंगे, हम यह नही कहेंगे कि खनन परियोजना लगनी चाहिए या नही लगनी चाहिए, पहले आपके स्वास्थ्य व रोजगार को ध्यान में रखा जाकर ही पर्यावरण प्रभाव आंकलन करवाये जाते है , आपत्तियों को सुना जाता है, उसके बाद ही निर्णय लिया जावेंगा।

इसके उपरांत ग्रामवासी – श्री नवल सिंह ग्राम – मोहनपुर, तहसील– करौली द्वारा बताया गया कि पशुपालन के लिए हमारे गॉव में छोटी सी जमीन है, अगर यहॉ परियोजना आयेगी तो हमे पशुपालन करने में परेशानी आयेगी, आपसे निवेदन हमारे यहॉ पर यह परियोजना नही आनी चाहिए।

इसके उपरांत क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा परियोजना के प्रतिनिधि से जानकारी चाही गई कि परियोजना द्वारा हरित पट्टी विकास के अन्तर्गत क्या किया जावेंगा।

इसके जवाब में खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया की उक्त खनन परियोजना में कुल 1.772 हैक्टेयर भूमि है, 0.49 हैक्टेयर की भूमि पर वृक्षारोपण किया जावेंगा जो 05 वर्ष की अवधि में खनन परियोजना का 33 प्रतिशत क्षेत्र कवर करता है, जिसमें लगभग 245 पौधे खनन इकाई के चारो ओर एवं 641 पौधे सडक के किनारे, स्कूल पंचायत, मन्दिर, श्मशान घाट इत्यादि पर लगवाये जायेंगे एवं इनकी देखभाल की जावेंगी।

इसके उपरांत क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पर्यावरणीय सलाहकार से पूछा गया कि आपके खनन परियोजना द्वारा जो पौधे प्रतिवर्ष लगाये जायेंगे उनकी देखरेख की जिम्मेदारी किसकी होगी।

इसके बाद पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि खनन परियोजना में 02 वर्ष तक पेड – पौधो का रोपण किया जावेंगा एवं पेड – पौधो की 02 वर्ष तक देखभाल की जायेंगी, 01 वर्ष इनकी पुर्नस्थापन के लिए नियत किया है।

इसके उपरांत अतिरिक्त जिला कलेक्टर करौली ने सभी ग्रामवासियो के भ्रम को दूर करते हुये बताया कि क्रेशर से टी. बी., सिलिकोसिस जैसी बिमारिया उत्पन्न होती है लेकिन यह जनसुनवाई खनन परियोजना के लिए आयोजित की जा रही ना कि क्रेशर के लिए, साथ ही बताया कि आपका दूसरा मुददा यह था कि गॉव में यदि खनन परियोजना आयेंगी तो मवेशी के चरने के लिए कहा जायेंगे इसको ध्यान में रखते हुए पहाडी का क्षेत्रफल देखकर ही निर्णय लिया जायेंगा एवं यहॉ जाने का रास्ते नही है, परियोजना लानी चाहिए या नही, उस पर विचार कर लेंगे। पहाडी के नीचले स्थल पर तालाब, जो कि खनन क्षेत्रफल से कितनी दूरी पर है, उसको राजस्व रिकॉर्ड से देख लेंगे।

इसके पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जनसुनवाई के समापन की घोषणा करते हुए सभी ग्रामवासियों को आश्वस्त किया कि जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक रूप से प्राप्त सुझाव एवं आपत्तिया आगे भिजवाई जा रही है, जिनका समिति द्वारा अध्ययन करके ही उचित निर्णय लिया जावेंगा एवं सभी ग्रामवासियो का धन्यवाद ज्ञापित किया ।

(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी,
सवाईमाधोपुर

(हेमराज परिडवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
करौली

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट 'म'

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों, ग्रामवासी/ जनप्रतिनिधियों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स बी.के.एल.जी वेण्डर प्रा.लि., द्वारा. मैसेनरी स्टोन (माईनर मिनरल्स), उत्पादन क्षमता–6,91,275 टन प्रति वर्ष, (रोम) प्लॉट न0 – 14 खनन पटटा क्षेत्रफल 5.3739 हैक्टेयर निकट ग्राम – मोहनपुर, तहसील व जिला करौली, (राजस्थान) में स्थित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक ~~19.02.2025~~ 14.02.2025 को आयोजित जनसुनवाई की बैठक।

जनसुनवाई स्थल :– Bharat Nirman Rajeev Gandhi Seva Kendra, Raghubanshi, Teshil & District – Karauli.

दिनांक : 14.02.2025.

समय : प्रातः 11.00 बजे।

उपस्थिति पत्र

क्र.स.	नाम	कार्यालय / ग्राम	हस्ताक्षर
1.	Sh. Hemraj Paridwal	A.D.M., Karauli	[signature]
2.	Sh. Baljeet Meena	Regional Officer, R.S.P.C.B., SWM	[signature]
3.	धारासिंह		धारासिंह
4.	राजकुमार		राजकुमार
5.	अटलमीना	गाव खड़ियापुरा	अटलमीना
6.	धनसिंह मीना	गावड़ियापुरा	धनसिंह मीना
7.	महेश	रघुवंशी	महेश
8.	माधव चतुर्वेदी	रघुवंशी	माधव
9.	विपिन	रतनपुर	विपिन
10.	BMV		BMV

Scanned with OKEN Scanner

11.	घासीसिंह	घासीसिंह	घासीसिंह
12.	राजेन्द्र		
13.	मा मजूरी		
14.	नवलसिंह	मोहनपुर	नवल [illegible]
15.	सूरजबाई मीना	पटवारी	[illegible]
16.	सीमा शर्मा	V.D.O	सीमा शर्मा
17.	विपिन कुमार	L.D.C	विपिन चतुर्वेदी
18.	रामखेड़ा	AAO	[illegible]
19.	सुरेन्द्रसिंह		सुरेन्द्रसिंह
20.	जगदीश		जगदीश
21.	मलखानसिंह	ASI	PS कुड़गांव [illegible]
22.	चेतराज	FC	PS कुड़गांव [illegible]
23.	हंसराज मीना	[illegible]	[illegible]
24.	खुशबू चतुर्वेदी	कार्यकर्ता रघुवंशी	[illegible]
25.	चवला चतुर्वेदी	आशा सहयोगी रघुवंशी	चवला चतुर्वेदी
26.	RAJ KUMAR UNIJAL	JEE, RSPCB	RAJ KUMAR
27.			

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट 'क"

कार्यालय ग्राम पंचायत रघुवंशी

पंचायत समिति करौली जिला-करौली (राज.)

प्रेषक :-
पुष्पा देवी जाट
सरपंच
ग्राम पंचायत रघुवंशी
पं.स. करौली, जिला-करौली (राज0)
Mob. 9588892801

प्रेषित:-
श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय
करौली

क्रमांक 86.20

दिनांक 14-2-2025

विषय – मैसर्स बी० के० एल० जी० वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड ने प्लॉट नं० 14 एम० एल० एरिया 5.3739 हे० निकट ग्राम मोहनपुर में Masonary stone Minning Lease हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं करने हेतु।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि stone Minning लगाने में खसरा नं० 780/1 का एरिया आ रहा है। जिसमें ग्राम पंचायत का एक तालाब है। जिसमें पशु-पक्षी पानी पीते हैं एवं आसपास कृषि भूमि है। जिससे कृषि को एवं पशु-पक्षी तथा पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा। अतः आम ग्रामवासी मोहनपुर की शिकायत को ध्यान रखते हुये इसकी पर्यावरण स्वीकृति नहीं करने की कृपा करें।

पुष्पा
पुष्पा देवी
सरपंच
ग्राम पंचायत रघुवंशी
पं०स० करौली जिला-करौली

धारासिंह
रामलाल
अजय सिंह
भीमसिंह
गजानसिंह
रामजीलाल
धारासिंह मीना
रामदेव
मिथलेश
उपसरपंच
ओमवती वार्ड पंच ①
भरतलाल वार्ड पंच ⑤
कल्याण
केलाश जाटव वार्ड पंच ②
पूजा वार्ड पंच ③
सुरेन्द्र सिंह
BM
प्रकाश
रविकांत